न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(4)

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–सपोटरा जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन – प्रार्थी

बनाम

बद्री पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी चचेड़ी, तहसील सपोटरा, जिला करौली (फौत)

1/1 मुन्ना पिता बद्री

1/2 पप्पू पिता बद्री

1/3 रामपति वेवा बद्री

सभी जातियान मीना निवासीयान चचेड़ी, तहसील सपोटरा जिला करौली – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक–03.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

तत्पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी बद्री पुत्र पांच्या मीना निवासी चचेड़ी, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 264190/–रूपये, ब्याज 294778/–रूपये, द0ब्याज 0/–रूपये कुल राशि 558968/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 297781/–रूपये, ब्याज 515319/–रूपये द0ब्याज 90377/–रूपये, बीमा 21146/–रूपये, वसूली व्यय 280/–रूपये, नीलामी व्यय 46245/–सहित कुल राशि 971148/–रूपये की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अप्रार्थीगण फौत हो गया है। उसके कायम मुकाम, उसके पुत्र मुन्ना, पप्पू व वेवा रामपति को भी वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु उन्होंने भी

जिला कलक्टर
करौली

राशि जमा नहीं करायी। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पति ग्राम चचेड़ी, पटवार हल्का महाराजपुरा, तहसील सपोटरा जिला करौली की तत्कालीन आराजी खसरा नं. 103 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 111 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 114 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख.नं. 145/3 रकबा 3 बीघा एवं 145 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 14 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 28.06.2014, 19.01.2016 एवं 22.02.2016 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सोसायटी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–सपोटरा के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने निवेदन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. शाखा–हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा की बकाया ऋण राशि दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 297781/–रूपये, ब्याज 515319/–रूपये द0ब्याज 90377/–रूपये, बीमा 21146/–रूपये, वसूली व्यय 280/–रूपये, नीलामी व्यय 46245/–सहित कुल राशि 971148/–रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 103 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 111 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 114 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख.नं. 145/3 रकबा 3 बीघा एवं 145 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 14 विस्वा हिस्सा संपूर्ण बाके ग्राम चचेड़ी, पटवार हल्का महाराजपुरा, तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई अप्रार्थीगण की भूमि तत्कालीन आराजी खसरा नं. 103 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 111 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 114 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, ख.नं. 145/3 रकबा 3 बीघा एवं 145 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 14 विस्वा हिस्सा संपूर्ण भाग बाके ग्राम चचेड़ी, पटवार हल्का महाराजपुरा, तहसील सपोटरा जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि, शाखा सपोटरा के पक्ष में अंतरित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सपोटरा को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली